[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 24 / 2021 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 **जून, 2021**

सा.का.नि..........(अ) - केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं 14/2021 - केन्द्रीय कर, तारीख 01 मई, 2021 जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 310 (E) तारीख 01 मई 2021 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात: -

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में –

(i) खंड (i) में, --

1. "मई, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 29वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) खंड (i) के परंतुक में, --

1. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. "जून, 2021 के 15वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जुलाई, 2021 के 15वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) खंड (ii) में, --

1. "मई, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 29वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना मई, 2021 के 30वे दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:: मूल अधिसूचना सं.14/2021-केंद्रीय कर, तारीख 1 मई 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 310(अ), तारीख 1 मई 2021 द्वारा प्रकाशित की गयी।